

अध्याय VII

आंतरिक नियंत्रणों की प्रभाविकता

7.1 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण किसी सत्त्व के प्रबंधन ओर कर्मियों द्वारा की जाने वाली एक अभिन्न प्रक्रिया जो जोखिम का समाधान करती है और सत्त्व के लक्ष्य के लिए तर्क संगत आश्वासन उपलब्ध कराती है कि सत्त्व निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त कर रहा है:

- व्यवस्थित, नैतिक, मितव्ययी, दक्ष और कुशल परिचालन का निष्पादन;
- जवाबदेही का दायित्व निभाना;
- लागू कानून और विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग और क्षति के प्रति संसाधनों की सुरक्षा।¹⁰⁰

7.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अभिलेखों की जांच के दौरान हमने कुछ मामले देखे जहां विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। हमने ₹ 32.76 करोड़ के राजस्व वाले 34 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से इन अभ्युक्तियों को मंत्रालय को सूचित किया। मंत्रालय ने 22 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और ₹ 25.51 करोड़ के राजस्व वाले 18 मामलों जो कि परिशिष्ट III में सूचीबद्ध हैं वाले में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू/पूरी की। मंत्रालय को दो ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों (दिसम्बर 2015) के लिए मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित है। आपत्ति को दो मुख्य शीर्षों अर्थात् आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य चूकों के अन्तर्गत कवर किया गया है।

7.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, विभाग में मुख्य अनुपालन सत्यापन तंत्रों में से एक हैं आन्तरिक लेखापरीक्षा दल निर्धारित नियमों और विनियमों के साथ अनुपालन का स्तर सुनिश्चित करने हेतु, निर्धारित अभिलेखों की जांच के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन द्वारा, निर्धारित परिसर में लेखापरीक्षा करती है आंतरिक लेखापरीक्षा को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के अंतर्गत

¹⁰⁰ इनटोसाई जीओवी 9100 - सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आंतरिक नियंत्रण मानदण्ड हेतु दिशानिर्देश

निर्धारितियों के पंजीकृत परिसरों में रखे अभिलेख तक पहुंचने के लिये प्राधिकृत हैं। महानिदेशक लेखापरीक्षा को अहमदाबाद, मुम्बई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में अपनी सात क्षेत्रीय इकाइयों सहित कमिश्नरी (जो वास्तव में लेखापरीक्षा प्रक्रिया चलाते हैं) और सभी लेखापरीक्षा संबंधित मामलों पर बोर्ड के साथ केन्द्रीकृत संपर्क प्रदान करना होता है। एक तरफ यह नीति निर्माण में बोर्ड की सहायता करता है और सलाह देता है और दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर लेखापरीक्षा की योजना, सहयोग, पर्यवेक्षण और आयोजन में मार्गदर्शन करता है और व्यावहारिक दिशानिर्देश प्रदान करता है। पहले, लेखापरीक्षा कार्य कमिश्नरी द्वारा लेखापरीक्षा सेल, द्वारा किया जाता था जो सहायक/उप कमिश्नर और लेखापरीक्षकों द्वारा संचालित होती हैं और अपर/संयुक्त कमिश्नर इसकी अध्यक्षता करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा दलों जिसमें अधीक्षक और निरीक्षक शामिल हैं, द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। विभाग के पुनर्संरचना के बाद (अगस्त 2014), लेखापरीक्षा कार्य को देखने के लिए 45 विशेष लेखापरीक्षा कमिश्नरियाँ सृजित की गई हैं।

हमने आश्वासन प्राप्त करना चाहा कि क्या लेखापरीक्षा के लिए देय निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा, बोर्ड¹⁰¹ द्वारा निर्धारित आवृत्ति प्रतिमानों के अनुसार कमिश्नरियों द्वारा की गई थी। हमने आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पहले से लेखापरीक्षित कुछ निर्धारित अभिलेख के सत्यापन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा वास्तव में की गई लेखापरीक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण करने का प्रयास किया। हमने आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा निर्धारितियों की चूकों का पता न चलने के कतिपय दृष्टान्तों का पता लगाया।

7.3.1 आंतरिक लेखापरीक्षा न होने के परिणामस्वरूप निर्धारितियों द्वारा की गई चूकों का पता न चलना।

हमने 10 मामलों देखे जहां आंतरिक लेखापरीक्षा की जानी थी किन्तु विभाग द्वारा नहीं की गई थी। मंत्रालय/विभाग ने सभी मामलों में आपत्ति को स्वीकार किया और आठ मामलों में कार्रवाई प्रारम्भ की इन आठ मामलों का विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट III में दिया गया है। शेष दो मामलों को नीचे पैराग्राफ में दर्शाया गया है:

¹⁰¹ इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 की तालिका 1.9 देखें

7.3.1.1 प्रतिदाय आदेश के परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट की वापसी का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 5, निर्यातित माल के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट के सेनवेट क्रेडिट और इनपुट सेवाओं के प्रतिदाय को अनुमत करता है, यदि आउटपुट सेवा के संभरक या विनिर्माता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर के भुगतान के लिए इस प्रकार के क्रेडिट का समायोजन सम्भव न हो।

बेलगाम कमिश्नरी में, एक 100% नियातोन्मुख उपक्रम, मेसर्स लक्ष्मीनारायण माइनिंग कम्पनी, सिद्धापुर गाँव, बेलारी, ने निर्यातित माल के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर गैर-प्रयुक्त सेनवेट क्रेडिट के संबंध में अप्रैल 2009 से जून 2010 की अवधि के दौरान ₹ 162.12 लाख के प्रतिदाय का दावा फाइल किया था। विभाग ने तीन विभिन्न ओआईओ के द्वारा ₹ 86.81 लाख के प्रतिदाय को मंजूरी दी थी (मार्च 2010 और नवम्बर 2012) और इस आधार पर शेष ₹ 75.31 लाख की राशि को अस्वीकृत कर दिया कि निर्धारिती इस प्रकार की सेवाओं के लिए सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं था। कथित प्रतिदाय आदेशों की प्राप्ति पर निर्धारिती को जिसके लिए प्रतिदाय को मंजूरी दी गई थी के बदले में सेनवेट क्रेडिट को वापस करना चाहिए था। निर्धारिती को उस राशि के लिए भी सेनवेट क्रेडिट को वापस करना चाहिए था जहां प्रतिदाय आदेश में क्रेडिट गलत बताया गया था। तथापि, ईआर-2 विवरणियों के सत्यापन से पता चला कि उपरोक्त निर्धारिती ने ₹ 162.12 लाख के सेनवेट क्रेडिट को वापस नहीं किया था। हालांकि, सांविधिक विवरणियों को नियमित रूप से फाइल किया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिये, कि निर्धारिती द्वारा सेनवेट क्रेडिट को वापस किया गया था, विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

यह भी देखा गया कि 2010-11 से 2012-13 के दौरान विभाग द्वारा निर्धारिती की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

जब हमने यह बताया (मार्च 2013), विभाग ने बताया (जून 2014) कि निर्धारिती ने ₹ 86.81 लाख के सेनवेट क्रेडिट वापस कर दिया था और उसे अप्रैल 2013 के महीने के लिए ईआर-2 विवरणी में दिखाया गया था। विभाग ने आगे बताया (फरवरी 2015) कि निर्धारिती ने ₹ 75.31 लाख की शेष राशि वापस की और उसे जून 2013 के माह के लिए ईआर-2 विवरणियों में दिखाया गया था।

यदि लेखापरीक्षा द्वारा न बताया गया होता ₹ 162.12 लाख की गैर वापसी-का पता नहीं चलता।

मंत्रालय ने ₹ 162.12 लाख के क्रेडिट की वापसी की पुष्टि की। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं करने के लिए, इसने बताया कि श्रमबल बाधाओं के कारण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकती।

लेखापरीक्षा की राय है कि बोर्ड को इस प्रकार के मामलों में क्रेडिट की वापसी को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को उचित निर्देश जारी करने चाहिए।

7.3.1.2 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कम उद्ग्रहण का पता न चलना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) नियमावली 2000 (30.11.2013 तक विद्यमान) के वर्तमान नियम 9 एवं 10 के अनुसार, जहां निर्धारिती द्वारा एक संबंधित व्यक्ति जो कि अन्य बातों के साथ अन्तः संबंध उपक्रम में शामिल है को छोड़कर या के माध्यम द्वारा उत्पाद शुल्क योग्य माल नहीं बेचा जाता, वहां माल का मूल्य सामान्य लेन-देन मूल्य होगा जिस पर खरीदारों को (संबंधित व्यक्ति न होते हुए) निकासी के समय पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है। इस प्रकार इसका अर्थ है कि ये नियम वहां लागू नहीं थे यदि निर्धारिती माल को आंशिक रूप से संबंधित खरीदारों और आंशिक रूप से गैर-संबंधित खरीदारों को बेचता है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 4(3) (बी) के नीचे खण्ड 1(ii) के अनुसार, अन्तः संबंध उपक्रम, उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्यांकन के उद्देश्य से संबंधित हैं। अधिनियम की धारा 4(3) (बी) के नीचे स्पष्टीकरण 1(ii) के अनुसार यदि एक निगमित निकाय का प्रबंध निदेशक अन्य निकाय का भी प्रबंधक निदेशक है तब, दोनों को एक ही प्रबंधन के तहत माना जायेगा और इस प्रकार वे अन्तः संबंधित हैं।

इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद, रायगढ़, {2007 (2009) ईएलटी 185 (ट्राईएलबी)} कमिश्नर के मामले में अधिकरण और एक्वामॉल वाटर सॉल्यूशन्स लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नर [{006 (193) ईएलटी ए 197 (एस-सी)} के कमिश्नर के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया है कि जहां माल एक संबंधित व्यक्ति को और आंशिक रूप से स्वतन्त्र तृतीय दलों को बेचा जाता है। वहां निर्धारण तृतीय दल को की गई बिक्री के आधार पर होना चाहिए।

1 अप्रैल 2012 से प्रभावी नियम 9 को यह सम्मिलित करते हुए कि जहाँ 'पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पाद शुल्क योग्य माल को निर्धारिती द्वारा या संबंधित व्यक्ति के माध्यम से बेचा जाता है, संशोधित किया गया है।

कोलकाता V कमिश्नरी में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 39 के तहत प्लेन प्लास्टिक फिल्म आदि के विनिर्माण में कार्यरत मैसर्स जी आर मल्टीपलेक्स पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स जी आर पॉली फिल्म प्राइवेट लि. को 2011-12 और 2012-13 की अवधि के दौरान प्लेन प्लास्टिक फिल्म की निकासी की जिसमें दोनों का एक सामान्य प्रबंधक निदेशक था। आगे सत्यापन से पता चला कि कुछ मामलों में संबंधित इकाइयों को स्थानांतरित उत्पादों का मूल्य उस मूल्य से कम था जिस पर यह अन्य दलों को बेचा गया था। इसके परिणामस्वरूप उनकी संबंधित इकाइयों को निकासी किए गए उत्पादों का अवमूल्यांकन हुआ और 2011-12 और 2012-13 की अवधि के लिए ₹ 46.05 लाख (उपकर सहित) के शुल्क का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ जो कि लागू ब्याज सहित वसूलीयोग्य था।

यद्यपि इकाई आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए एक अनिवार्य इकाई थी, फिर भी इसकी लेखापरीक्षा दिसम्बर 2010 से नहीं की गई थी। इस प्रकार निर्धारिती द्वारा की गई चूक का हमारे द्वारा बताये जाने तक पता नहीं चला।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2013), सहायक कमिश्नर (अक्टूबर 2014) ने सूचित किया कि लागू ब्याज और शास्ति सहित 2011-12 से 2012-13 तक की अवधि को कवर करते हुए ₹ 46.05 लाख के लिए कारण बताओ एवं मांग नोटिस निर्धारिती को जारी किया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)

7.3.2 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा चूकों का पता न चलना

हमने 23 मामलों का पता लगाया जहां निर्धारिती की लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई थी किंतु यह निर्धारितियों द्वारा की गई चूकों का पता लगाने में असफल रहा। 10 मामलों में मंत्रालय ने आंतरिक लेखापरीक्षा की चूकों को सवीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा दलों को संवेदनशील बनाने के लिए विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। इस मामलों का विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट III में दिया गया है। शेष 13 मामले निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

7.3.2.1 निर्माण कार्य ठेका पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2(1) के अनुसार 'इनपुट सेवा' का अर्थ है कि विनिर्माता द्वारा प्रयुक्त कोई भी सेवा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो या अंतिम उत्पादों के विनिर्माण से संबंधित और हटाने की जगह तक अंतिम उत्पाद की निकासी किंतु जैसा कि नियम 2(i)(ii) (ए), (बी) और (सी) में जैसा कि 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी है एक भवन या एक सिविल संरचना या उसके एक भाग के निर्माण कार्य ठेका के निर्माण या निष्पादन यथा विनिर्देश सेवाओं को छोड़ कर।

कोलकाता III कमिश्नरी के तहत, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 29 के तहत थोक दवा जैसे इरी नोटीकेन, एकलीटेकसल आदि के विनिर्माण में लगी मैसर्स फ्रिसेनियस काबी ऑन्कोलॉजी लिमिटेड ने सिविल संरचनात्मक और असंरचनात्मक कार्यों के लिए 2011-12 और 2012-13 की अवधि के दौरान मैसर्स पावर मैक्स (इंडिया) प्राइवेट लि, द्वारा दी गई सिविल निर्माण सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर के लिए ₹23.26 लाख (उपकर सहित) के इनपुट सेवा क्रेडिट का लाभ उठाया। अनियमित रूप से उठाए गये कुल सेवा क्रेडिट के लाभ में से निर्धारिती ने फरवरी 2013 में पहले ही ₹5.63 लाख (उपकर सहित) वापस किया था, यद्यपि इस प्रकार का विपर्यय संबंधित महीने के ईआर-1 में दर्शाया नहीं गया था। इस प्रकार, 2011-12 और 2012-13 की अवधि के दौरान, अनियमित रूप से लाभ उठाए गए ₹17.63 लाख (उपकर सहित) का शेष इनपुट सेवा क्रेडिट, निर्धारिती से वसूली योग्य था।

यद्यपि अगस्त 2012 से जुलाई 2013 की अवधि को कवर करते हुए नवम्बर 2013 में विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी फिर भी सीएजी द्वारा बताए जाने तक चूक का पता नहीं चला।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2014) मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2015) कि निर्धारिती ने अपने सेनवेट खाते से ₹17.63 लाख की राशि वापस कर दी। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि मामले का पता नवम्बर 2013 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा चला था और ₹4.26 लाख की राशि निर्धारिती से ली गई थी।

यद्यपि विभाग ने अगस्त 2012 से जुलाई 2013 के दौरान की गई चूक का पता लगाया किंतु उससे पहले की अवधि की चूक का पता लगाने में असफल रहा।

7.3.2.2 ट्रेडिंग के कारण सेनवेट क्रेडिट की गैर वापसी का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(2) के अनुसार किसी भी इनपुट या इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठा रहे आउटपुट सेवाओं के विनिर्माताओं या संभरक और ऐसे अंतिम उत्पादों के विनिर्माता या ऐसी आउटपुट सेवाओं को मुहैया कराने वाले जो कि छूट प्राप्त माल या सेवाओं के साथ-साथ शुल्क या कर को प्रभार्य हैं इनपुट और इनपुट सेवाओं की प्राप्ति, खपत और माल सूची के लिए अलग से लेखाओं का अनुरक्षण करेंगे और केवल इनपुट या इनपुट सेवा की उस मात्रा पर सेनवेट क्रेडिट लेंगे जो शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में या आउटपुट सेवा जिस पर सेवाकर देय है को उपलब्ध कराने में उपयोग के लिए अभिप्रेत है। नियम 6(3) में बताया गया कि अलग लेखाओं का अनुरक्षण न करने वाले का विकल्प देते हुए विनिर्माता या आउटपुट सेवा के संभरक को या तो छूट प्राप्त माल और सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत (6 जुलाई 2009 तक 6 प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेंगे या उप नियम 6 (3ए) के अंतर्गत यथानिर्धारित राशि का भुगतान करेंगे। दिनांक 1 मार्च 2011 की अधिसूचना सं. 3/2011/ सीई के खण्ड 2(iii) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार छूट दी गई सेवाओं में ट्रेडिंग शामिल है।

कोची कमिश्नरी में मैसर्स डेल्फी कनेक्शन सिस्टम्स प्राइवेट लि. मुलनथुरुथी विनिर्माण गतिविधि के अलावा माल की ट्रेडिंग में कार्यरत था। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान निर्धारिती की ट्रेडिंग आमदनी क्रमशः ₹ 7.14 करोड़ और ₹ 17.93 करोड़ थी। निर्धारिती ने इनपुट एवं इनपुट सेवाओं के क्रेडिट का लाभ उठाया किंतु छूट प्राप्त सेवाओं से संबंधित इनपुट एवं इनपुट सेवाओं की प्राप्ति निर्गम एवं मालसूची के लिए पृथक खाते का रखरखाव नहीं किया। नियम 6(3) के अनुसार निर्धारिती को देय ₹ 34.69 लाख की राशि का भुगतान करना दायी था।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा जून 2013 की अवधि को शामिल करते हुए जुलाई 2013 में की गई थी किंतु हमारे द्वारा बताई गई चूक को बताया नहीं गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2014), विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि निर्धारिती ने ₹ 16.35 लाख के ब्याज और ₹ 8.03 लाख की शास्ति सहित अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए ₹ 34.73 लाख की राशि वापस की।

मंत्रालय ने भी पुष्टि की (अक्टूबर 2015) कि निर्धारिती ने क्रेडिट वापस किया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर इसने कहा कि इकाई को सरसरी रूप से देखने के दौरान, लेखापरीक्षा दल ने समझा कि ट्रेडिंग और विनिर्माण गतिविधियों को इकाई द्वारा पृथक रूप से डील किया गया था और दल ने केवल विनिर्माण गतिविधि ध्यान पर केन्द्रित किया।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारिती के गलत दावे का कोई सत्यापन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप चूक का पता नहीं चला।

7.3.2.3 निर्धारणीय मूल्य के गलत अपनाने के पता न चलने के परिणामस्वरूप शुल्क का कम भुगतान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) नियमावली, 2000 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित नियम 10 में अनुबंध किया गया है कि जहां एक निर्धारिती द्वारा उत्पाद शुल्क योग्य माल एक अन्तः संबंधी उपक्रम को वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण में ऐसे माल के उपयोग या खपत के लिए बेचे जाते हैं, वहां मूल्य, सीएस-4 प्रमाण पत्र में यथा संगणित, ऐसे माल के उत्पादन या विनिर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा। यदि कोई विलंबित भुगतान हो, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11 ए के अनुसार ब्याज देय है।

चेन्नई ॥ कमिश्नरी के तहत आने वाली मैसर्स ल्यूकस इंडियन सर्विस लि. ने इसकी नियंत्रक कम्पनी मैसर्स ल्यूकस टीवीएस लि. को वर्ष 2011-2014 के दौरान किए गए माल की निकासी पर खरीद आदेश दर को स्वीकार किया। खरीद आदेश दर इस प्रकार के माल के उत्पादन या विनिर्माण की लागत के एक सौ दस प्रतिशत से कम थी। अन्य अन्तः संबंधी उपक्रम को की गई निकासी पर सही निर्धारण मूल्य के न अपनाने के परिणामस्वरूप शुल्क का कम भुगतान हुआ।

इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा सितम्बर 2013 में की गई थी किंतु इस पहलू को उनके द्वारा नहीं बताया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2014), विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) की निर्धारिती ने ₹ 5.90 लाख के ब्याज सहित ₹ 17.55 लाख की राशि का तीन वर्षों के लिए विभेदक शुल्क का भुगतान किया था।

मंत्रालय ने (नवम्बर 2015) भी निर्धारिती द्वारा किए गए भुगतान की पुष्टि की इसने आगे कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा के समय पर निर्धारिती द्वारा तीन वर्षों के लिए सीएस-4 नहीं बनाया गया था और उन्हें विभेदक शुल्क का पता नहीं चल सका।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यद्यपि निर्धारिती द्वारा सीएस-4 प्रमाण-पत्र नहीं बनाया गया था फिर भी सीएस-4 प्रमाण पत्र नहीं बनाने के मामले को आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाया जाना चाहिए था।

7.3.2.4 संबंधित इकाई को किए गए निपटान के संबंध में शुल्क के भुगतान का पता न चलना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का अवधारण) नियमावली, 2000 के नियम 8 में अनुबंध किया जाता है कि जहां उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा बेचा नहीं जाता है किंतु उसके द्वारा या उसकी ओर से अन्य वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण में खपत के लिए प्रयुक्त होता है वहां मूल्य इस प्रकार के माल के उत्पादन या विनिर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा।

आगे नियम 9 में अनुबंध किया जाता है कि जब निर्धारिती ऐसी व्यवस्था करता है कि जब या तो अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (3) की धारा (बी) के उप खंड (ii), (iii) (iv) में विनिर्दिष्ट ढंग से संबंधित, व्यक्ति को या द्वारा के अलावा उत्पाद शुल्क योग्य माल, निर्धारिती द्वारा नहीं बेचे जाते, माल का मूल्य सामान्य लेन देन का मूल्य वह होगा जिस पर निपटान के समय पर संबंधित व्यक्ति द्वारा खरीदारों का (संबंधित व्यक्ति होते हुए) यह बेचा जाता है, या जहां ऐसा माल ऐसे खरीदारों को नहीं बेचा जाता है खरीददारों को (संबंधित व्यक्ति होते हुए) जो कि यह माल खुदरा में बेचता है, बशर्ते कि उस मामले में जहाँ संबंधित व्यक्ति माल को बेचता नहीं है किंतु ऐसे माल को वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण में उपयोग या उपभुक्त किया जाता है, वहां उपर्युक्त नियम 8 में विनिर्दिष्ट ढंग से मूल्य अवधारित किया जाएगा जो कि ऐसे माल के उत्पादन की लागत का एक सौ दस प्रतिशत है।

जोधपुर कमिश्नरी (तत्कालीन कमिश्नरी जयपुर II) में एसएस यूटेनसिल्स और एसएस कोल्ड रोल्ड पट्टा/पट्टी के विनिर्माण में कार्यरत में मैसर्स सनशाइन स्टील इंडस्ट्रीज जोधपुर ने, 2012-13 के दौरान संबंधित पार्टी मैसर्स रामदेव स्टेनलैस स्ट्रिप्स प्राइवेट लि. जोधपुर को ₹ 12.24 करोड़ के निर्धारण मूल्य वाले 18.36 लाख किलो के एसएस कोल्ड रोल्ड पट्टा/पट्टी की विनिर्मित मात्रा की निकासी की और यह विनिर्मित उत्पाद किसी अन्य दल को नहीं बेचा गया था। एसएस कोल्ड रोल्ड पट्टा/पट्टी का मूल्य उपयुक्त नियमों के अनुसार उत्पादन की लागत का 110 प्रतिशत पर अवधारित होना चाहिए। क्योंकि निर्धारिती ने उत्पादन की लागत अर्थात् सहयोगी कम्पनी संबंधित व्यक्ति को दी गई मंजूरी के संबंध में सीएसएस-4 प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया। लेखापरीक्षा ने उत्पादन की लागत के रूप में संबंधित पक्षकर को बीजक मूल्य पर विचार करते हुए ₹ 15.13 लाख की राशि का कम भुगतान निकाला।

सितम्बर 2012 तक की अवधि को कवर करते हुए, अक्टूबर 2012 में विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी किंतु इसके द्वारा चूक का पता नहीं लगाया गया।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2014), कमिश्नरी ने आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (जून 2015) की कारण बताओ नोटिस प्रक्रियाधीन था।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2015) कि पार्टनरों के अन्य फर्मों/कम्पनियों से संबंधित होने के तथ्य को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से अभिनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि, लेखापरीक्षा दल के अधिकारियों को इस पहलू की जांच करने में सावधान रहने हेतु सचेत किया गया था।

7.3.2.5 पुराने पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित उपयोगिता का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली (सीसीआर) 2004 के नियम 3 (5ए) (बी) के अनुसार यदि पूंजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है को उपयोग पूंजीगत माल या छीजन या व्यर्थ के रूप में, उपयोग करने के बाद हटाया जाता है, आउटपुट सेवा के विनिर्माता या संभरक सेनवेट क्रेडिट लेने की तिथि से प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए सीधी रेखा प्रणाली द्वारा संगणित 2.5 प्रतिशत तक कम करते हुए कथित पूंजीगत माल पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा। सीसीआर 2004 का नियम 14 कहता है कि जहां सेनवेट क्रेडिट लिया गया है और गलत ढंग से उपयोग किया गया है, वहां उसे ब्याज सहित आउटपुट सेवा के विनिर्माता या संभरक से वसूल किया जायेगा।

कोचीन कमिश्नरी में, मैसर्स ओईएन इंडिया लि. मुलनथुरुथी ने 1995, 1997 और 2000 में प्राप्त अपने पूंजीगत माल को जनवरी 2005 में त्रिपुनीथुरा इकाई को हस्तांतरित कर दिया था। इस माल को फिर से मार्च 2013 में मुलनथुरुथी इकाई को हस्तांतरित किया गया, और मुलनथुरुथी इकाई ने सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया जिसे जनवरी 2005 के दौरान त्रिपुनीथुरा इकाई को कथित पूंजीगत माल के हस्तांतरण के समय पर पुराने बीजकों के आधार पर विपर्यय किया गया था। चूंकि मूल बीजक 1995, 1997 और 2000 से संबंधित थे, इसलिए मार्च 2013 में मुलनथुरुथी इकाई को इस पूंजीगत माल के हस्तांतरण पर, उप नियम 3(5ए) (बी) के अनुसार प्रति तिमाही 2.5 प्रतिशत की दर पर आनुपातिक कटौती के लिए फार्मुला लगाते हुए वहां पर लाभ उठाये जाने के लिए कोई क्रेडिट नहीं बचा था। तथापि, उप-नियम 3(5ए)(बी) में यथा अनुबद्ध अनुपातिक कटौती किए बिना पुराने मूल बीजकों के आधार पर पूंजीगत माल का हस्तांतरण किया गया था और मार्च 2013 में मुलनथुरुथी इकाई द्वारा ₹ 8.25 लाख के पूरे सेनवेट क्रेडिट का पूरा लाभ उठाया गया और उपयोग किया गया था जो कि अनियमित था और निर्धारिती से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित था।

मार्च 2013 तक की अवधि सहित दिसम्बर 2013 में निर्धारिती की लेखापरीक्षा की गई थी, किंतु क्रेडिट के अनियमित उपयोग का पता नहीं चला था।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2014), विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि निर्धारिती को ब्याज और बराबर की शास्ति सहित ₹ 8.25 लाख के सेनवेट क्रेडिट की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि अन्य ईकाई को पूंजीगत माल के हस्तांतरण के समय पर क्रेडिट वापसी और पूंजीगत माल को वापिस प्राप्त करने के समय पर पुनः लिया गया क्रेडिट ठीक था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपर बताये गये नियम 3(5ए) के अनुसार पूंजीगत माल के मूल्यहास मूल्य के अनुसार कम की गई दर पर क्रेडिट वापिस किया जाना अपेक्षित है।

7.3.2.6 गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम भुगतान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 4(1) के अनुसार, उत्पाद शुल्क योग्य माल का विनिर्माण कर रहा प्रत्येक व्यक्ति नियम 8 में दिए गए तरीके से शुल्क का भुगतान करेगा और नियम 6 बताता है कि निर्धारिती स्वयं उत्पाद शुल्क योग्य माल पर देय शुल्क का निर्धारण करेगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 90 में चिकित्सकीय अथवा शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरण और औजार शामिल हैं। सामान्य छूट सं. 50 में 9018 शीर्ष वाले माल के लिए फरवरी 2011 तक 4 प्रतिशत तथा मार्च 2011 से 5 प्रतिशत पर घटी हुई दर पर भुगतान के लिए प्रावधान किया गया। नामपद्धति की सुसंगत प्रणाली (एचएसएन) 2002 और 2012 के अनुसार 9018 शीर्ष वाले अध्याय में रक्त, ऊतक, मूत्र, फ्लूड आदि की जांच हेतु प्रयोगशाला में प्रयुक्त यंत्र एवं उपकरण शामिल नहीं है और वे 9027 शीर्ष वाले अध्याय के तहत वर्गीकृत होने चाहिए। 9027 शीर्ष वाला अध्याय भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपकरण एवं यंत्र, लसीलापन, संरन्धता विस्तार, सरफेस टेंशन को मापने या जांचने के लिए उपकरण या यंत्र, या ऊर्जा, ध्वनि या प्रकाश (मीटर सहित), माइक्रोटोम्स आदि की मात्राओं को मापने या जांचने के लिए उपकरण या यंत्र के लिए है।

कोच्ची कमिश्नरी में, जाँच उपकरणों के विनिर्माण में लगे मैसर्स अगापे डायग्नोस्टिक लि. ने चिकित्सीय पाँच उपकरण अर्थात् एमआईएसजीए प्लस एनेलाइजर, एमआईएसपीए-1 और एमआईएसपीए उनो जो, क्लिनिकल रसायन एनेलाइजर थे को 9027 शीर्ष वाले अध्याय के बजाय 9018/9019 शीर्ष वाले अध्याय के तहत वर्गीकृत किया। निर्धारिती ने अप्रैल 2010 से मई 2011 की अवधि के दौरान सामान्य छूट सं. 50 के तहत 4 प्रतिशत/5 प्रतिशत की घटी हुई दर पर उपकरणों के लिए शुल्क का भुगतान किया था। निर्धारिती ने 9027/8090 शीर्ष के अध्याय के तहत उपकरणों को सही ढंग से पुनः वर्गीकृत किया और जून 2011 से 10 प्रतिशत के सामान्य दर पर शुल्क का भुगतान किया, चूँकि सीमा शुल्क प्राधिकरणों ने एचएसएन टिप्पणियों के आधार पर

90278090 शीर्ष के तहत निर्धारिती द्वारा आयातित समान उपकरणों को वर्गीकृत करते हुए जून 2011 में मांग नोटिस जारी किया था। तथापि, निर्धारिती ने जून 2011 से पहले की अवधि के लिए गलती में सुधार नहीं किया था। अप्रैल 2010 से मई 2011 की अवधि के दौरान जाँच उपकरणों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 22.21 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

जून 2011 तक की अवधि को कवर करते हुए जुलाई 2011 में की गई आंतरिक लेखापरीक्षा ने हमारे द्वारा पता लगाई गई चूक को नहीं बताया।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2012) कमिश्नरी ने कहा (जुलाई 2013) कि ₹ 24.07 लाख के शुल्क की मांग निर्धारिती को जारी की गई थी जिसकी ब्याज और बराबर की शास्ति सहित अधिनिर्णय (दिसम्बर 2014) में पुष्टि की गई थी।

मंत्रालय ने पुष्टि की (नवम्बर 2015) कि निर्धारिती को जारी एससीएन मांग की पुष्टि करते हुए अधिनिर्णीत हो चुका था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर कहा कि सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी मांग नोटिस के आधार पर निर्धारिती द्वारा माल के वर्गीकरण को परिवर्तित किया गया था और तथ्य को निर्धारिती द्वारा उनके ध्यान में नहीं लाया गया था, इसलिए आंतरिक लेखापरीक्षा इसका पता नहीं लगा सकी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न केवल विभाग गलत वर्गीकरण का पता लगाने में असफल रहा जैसा कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने पता लगाया था। आंतरिक लेखापरीक्षा भी सीमाशुल्क प्राधिकरण के मांग नोटिस और निर्धारिती द्वारा गलत वर्गीकरण का परिज्ञान लेने में असफल रही।

लेखापरीक्षा का विचार भी यह है कि बोर्ड को ऐसे मामलों में बोर्ड के विभिन्न विंग के बीच अर्थात् सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर में सूचना के विनियम के लिए एक यंत्र बनाने की आवश्यकता है।

7.3.2.7 सिविल निर्माण सेवा पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने का पता न चलना

केन्द्रीय क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2(1) (ए) में प्रावधान है कि निर्माण कार्य ठेके के निष्पादन में सेवाभाग और निर्माण सेवार्यें जो एक भवन या एक सिविल संरचना या उसके भाग अथवा नींव डालने या पूंजीगत माल की सुविधा हेतु संरचनाओं के निर्माण के कार्य ठेके के निष्पादन अथवा निर्माण के लिए उपयोग की जाती हैं, केवल विनिर्दिष्ट सेवाओं में एक या दो प्रावधानों को छोड़कर, सेनवेट क्रेडिट लेने हेतु इनपुट सेवाओं में शामिल नहीं है।

चंडीगढ़ ॥ कमिश्नरी में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 29 के तहत थोक दवाओं के निर्माण में कार्यरत मैसर्स कुडोस केमी लि. डेराबस्सी, ने उपर्युक्त नियमों के उल्लंघन में 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान सिविल निर्माण पर ₹ 92.50 लाख की राशि के सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 92.50 लाख की राशि के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य था।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2014 तक की गई थी किंतु अनियमितता बताई नहीं गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2014), तब विभाग ने सूचना दी (नवंबर 2014) कि ₹ 92.50 लाख की राशि को निर्धारिती द्वारा लौटा दिया गया था और ₹ 0.68 लाख का ब्याज भी अदा दिया गया था।

मंत्रालय ने निर्धारिती द्वारा क्रेडिट वापसी की पुष्टि की थी (सितम्बर 2015)। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर यह बताया गया कि मामला जांच के अधीन था।

7.3.2.8 समान बीजक पर क्रेडिट की गलत प्राप्ति और उसके उपयोग का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(2) (ए) में प्रावधान किया गया है कि दिए गए वित्तीय वर्ष में किसी भी समय फैक्टरी में प्राप्त किए गए पूंजीगत माल के संबंध में सेनवेट क्रेडिट, उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे पूंजीगत माल पर भुगतान किए गए शुल्क के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उक्त नियमावली के नियम 14 में अनुबंध किया जाता है कि अनियमित रूप से प्राप्त और उपयोग किया गया सेनवेट क्रेडिट ब्याज सहित वसूल किया जाएगा।

हल्दिया कमिश्नरी में टीएमटी बार के विनिर्माण में लगे में श्री बद्री नारायण एल्योय एण्ड स्टील लिमिटेड की लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अक्टूबर 2013 के माह में मै शैलजा इंजीनियरिंग वर्क्स से तीन पूंजीगत माल की खरीद की थी और पूंजीगत माल पर प्रदत्त कुल शुल्क के 50 प्रतिशत होने के नाते ₹ 28.43 लाख (उपकर सहित) का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। तत्पश्चात, ₹ 28.43 लाख का शेष 50 प्रतिशत क्रेडिट अप्रैल 2014 में प्राप्त किया गया था। आगे जांच से पता चला कि निर्धारिती ने नवंबर 2013 के माह में बीजकों के समान सैटों के आधार पर ₹ 28.43 लाख का सेनवेट क्रेडिट भी प्राप्त किया था। इस प्रकार, निर्धारिती ने 150 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त किया जिसमें से 100 प्रतिशत उसी वर्ष प्राप्त किया गया था। निर्धारिती द्वारा नवंबर 2013 के माह में प्राप्त किया गया क्रेडिट अनियमित था। निर्धारिती ने नियमित रूप से प्राप्त किए गए समस्त क्रेडिट का उपयोग भी कर लिया था। परिणामस्वरूप 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 28.43 सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति और उपयोग हुआ जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य था।

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा इकाई की लेखापरीक्षा की गई थी (मई 2013) किंतु इसमें हमारे द्वारा बताई गई चूक का पता नहीं चला था।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2014), तब विभाग ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती ने ₹ 10.58 लाख के ब्याज सहित ₹ 28.43 लाख का क्रेडिट लौटा दिया था।

मंत्रालय ने भी निर्धारिती द्वारा क्रेडिट लौटाने की पुष्टि की (दिसम्बर 2015)। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर यह बताया गया कि 2011-12 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा जनवरी 2014 में पूरी हुई थी, अतः 2013-14 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा कोई चूक नहीं हुई थी।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 के प्रावधान में अनुबंध किया गया है कि लेखापरीक्षा को वर्तमान लेखापरीक्षा की तिथि से एक माह पूर्व तक किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यद्यपि लेखापरीक्षा जनवरी 2014 में पूरी हुई थी, फिर भी इसमें दिसम्बर 2013 तक की अवधि को कवर किया जाना चाहिए था।

7.3.2.9 बिक्री कर माफी के रूप में अतिरिक्त प्रतिफल पर शुल्क की गैर अदायगी का पता न चलना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(1)(ए) के अनुसार, जब उत्पाद शुल्क किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर उसके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य हो, तब ऐसा मूल्य लेन-देन मूल्य होगा। लेन-देन मूल्य का अर्थ है माल, जब बेचा जाये, के लिये वास्तव में दी गई राशि या देय राशि, और मूल्य के रूप में लगाई गई राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि जो खरीददार बिक्री के संदर्भ में, निर्धारिती को या की ओर से देने का जिम्मेदार हो, शामिल है या बिक्री के अनुरूप चाहे बिक्री के समय पर देय या किसी अन्य समय पर जिसमें विज्ञापन या प्रचार विपणन आदि या अन्य दूसरे मामलों किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, हेतु प्रभारित या प्रावधान की गई कोई राशि शामिल है, लेकिन ऐसे माल पर वास्तव में भुगतान किया गया या वास्तव में देय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य कर, यदि कोई हों, की राशि शामिल नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार ने बिक्री कर के आस्थगित भुगतान के लिये पैकेज प्रोत्साहन योजना शुरू की जिससे निर्धारिती को खरीददार से बिक्री कर एकत्रित करने और 75 प्रतिशत अपने पास रखने और उसे निर्धारित अवधि के बाद वापस लौटाने की अनुमति थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित किया और बिक्री कर देयता के समय पूर्व पुनर्भुगतान के लिये और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करते हुये नवम्बर 2002 में अधिसूचना जारी की।

स्वोच्च न्यायालय ने समान मामले पर दिनांक 28 फरवरी 2014 (2014-टीआईओएल-19-एससी-सीएक्स) को मै.सुपर सिनोटैक्स इंडिया के मामले में अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि निर्धारिती द्वारा अपने पास रखा गया 75 प्रतिशत बिक्री कर निर्धारणीय मूल्य का हिस्सा होगा और उत्पाद शुल्क भुगतान के योग्य है। आगे बोर्ड ने भी उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर समान लाइन पर फा सं. 6/8/2014-सीएक्स-1 दिनांक 17 सितम्बर 2014 के

माध्यम से एक परिपत्र जारी किया और निर्देश दिया कि समान मामलों को इस आधार पर अंतिम रूप दिया जाना चाहिये।

नासिक कमिश्नरी में माल (अध्याय 84) के विनिर्माण के लगे में परफैक्ट सर्कल इंडिया लिमिटेड ने प्रोत्साहन पैकेज योजना के अंतर्गत 29 जून 2013 को निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर आस्थगित करों (बिक्री कर) की राशि का पूर्व भुगतान किया था। इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया गया ₹ 1.34 करोड़ का लाभ निर्धारणीय मूल्य में शामिल करने योग्य था। निर्धारणीय मूल्य में बिक्री कर राशि को सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.68 लाख के ब्याज (23 मई 2014 तक) सहित ₹ 16.58 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा नवंबर 2013 में की गई थी किंतु उनके द्वारा चूक का पता नहीं लगाया गया था।

जब हमने इसके बारे में बताया (मई 2014), विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2015) और बताया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2015) कि निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर इसने बताया कि आस्थगित बिक्री कर भुगतान के तथ्य लेखापरीक्षा अधिकारी को सूचित नहीं किए गए थे और विभाग की जानकारी से तथ्यों को छुपाया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि निर्धारिती द्वारा तथ्यों को नहीं सूचित किया गया तब आंतरिक लेखापरीक्षा ऐसे अपवंचन का पता लगाने में समर्थ होनी चाहिए और मौजूदा मामले में, आंतरिक लेखापरीक्षा चूक का पता लगाने में विफल रही।

7.3.2.10 सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(1) में प्रावधान किया गया है कि अंतिम उत्पादों के विनिर्माताओं को 10 सितम्बर 2004 को या इसके पश्चात अंतिम उत्पादों के विनिर्माता की फैक्टरी में प्राप्त किसी इनपुट या पूंजीगत माल पर भुगतान किए गए विशेषीकृत शुल्कों के क्रेडिट लेने हेतु अनुमति दी जायेगी।

भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 13/2012-सीमा शुल्क और 14/2012-सीमा शुल्क दिनांक 17 मार्च 2012 के माध्यम से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उदग्रहणीय शिक्षा

उपकर और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर के भुगतान से आयातित माल को छूट दी।

जोधपुर कमिश्नरी में मै. सोमी कनवेयर बैल्टिंग लि, और मै. प्रेम केबल्स प्रा.लि. ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान आयातित माल पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था जोकि प्रविष्टि बिल में उद्ग्रहणीय नहीं था क्योंकि उक्त को उपरोक्त अधिसूचना के माध्यम से छूट दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.67 लाख के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति हुई जो ₹ 3.65 लाख के लागू ब्याज सहित निर्धारिती से वसूली योग्य है।

हालांकि, पैरा में शामिल अवधि हेतु निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, फिर भी हमारे द्वारा पता लगाए जाने तक अनियमितता के बारे में नहीं बताया गया था।

हमने दिसम्बर 2014 में इस बारे में बताया। मंत्रालय/कमिश्नरी से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

7.4 अन्य चूकें

7.4.1 व्यापक संवीक्षा न करने के परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(1) में 'इनपुट सेवा' की परिभाषा से विशेष रूप से वास्तुविक सेवाओं, निर्माण सेवाओं और निर्माण कार्य ठेका सेवाओं को छोड़ा गया है, यदि इन सेवाओं को भवन या सिविल संरचना के निर्माण या पूंजीगत माल के समर्थन हेतु संस्थापना करने या संरचना बनाने हेतु उपयोग किया जाता है तब उक्त का सेनवेट क्रेडिट नहीं मिलता है।

बेलगाम कमिश्नरी के अंतर्गत निप्पानी ॥ रेंज से संबंधित 2009-10 से 2011-12 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि रेंज द्वारा कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा न करने के प्रभाव की जांच करने हेतु विस्तृत निर्धारण करने के लिए कुछ निर्धारितियों का चयन किया और यह पाया कि मै. शिव शक्ति सुगर लि. सौदती ने फैक्टरी भवन के निर्माण हेतु उपयोग की गई वास्तुविद सेवाओं, निर्माण सेवाओं और निर्माण कार्य ठेका सेवाओं पर ₹ 11.39 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था और मै. कृष्णा एसएसकेएन, अथानी ने 2011-12 के दौरान निर्माण कार्य ठेका सेवाओं और क्लब सदस्यता सेवाओं पर ₹ 3.66 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। ये सेवाएं सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने के

लिए विनिर्माताओं हेतु पात्र इनपुट सेवाएं नहीं थी। प्राप्त किया गया सेनवेट क्रेडिट अनियमित था और इसे लागू ब्याज और शास्ति सहित लौटाया जाना था।

हमने जब इसके बारे में बताया (जनवरी 2013), तब विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि एसीईएस के कार्यान्वयन के दौरान सामने आए विभिन्न प्रचालनात्मक मामलों के कारण आरंभ में विवरणियों की संवीक्षा नहीं की गई और यह कि इन समस्याओं के समाधान के बाद संवीक्षा नियमित रूप से की जा रही थी। विभाग ने आगे उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि अपात्र सेनवेट क्रेडिट के लिए मैं शिव शक्ति सुगर लि. ने ₹ 11.39 लाख का भुगतान कर दिया था (अप्रैल 2013) और मैं कृष्णा एसएसकेएन ने ₹ 3.24 लाख का भुगतान किया। विभाग ने यह भी उत्तर दिया (जून 2014) कि निर्धारिती ने ₹ 0.42 लाख का सेनवेट क्रेडिट नहीं लौटाया था, अतः इस आधार पर मैं कृष्णा एसएसकेएन को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था कि वह उक्त क्रेडिट हेतु पात्र नहीं था क्योंकि यह सहकारी चीनी मिल परिसंघ की सदस्यता से संबंधित था।

मंत्रालय ने भी दोनों निर्धारितियों द्वारा किए गए भुगतान की पुष्टि की थी (दिसम्बर 2015)। विभागीय चूक पर यह भी बताया गया कि विभाग एसीईएस में प्रचालन मामलों के कारण संवीक्षा नहीं कर सका था।

यद्यपि कमिश्नरी ने बताया कि अब विस्तृत संवीक्षा की जा रही है, फिर भी सेनवेट क्रेडिट पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 41 नमूना जांच की गई कमिश्नरियों में से 21 कमिश्नरियों में कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की जा रही थी और 20 कमिश्नरियों के उत्तर प्रतीक्षित थे। मंत्रालय को विस्तृत संवीक्षा करने के लिए बेलगाम कमिश्नरी के दावे को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

7.4.2 विभाग द्वारा एससीएन जारी करने में विलंब

सीबीईसी परिपत्र सं. 5/83-सीएक्स 6 दिनांक 10 मार्च 1983, अनुदेश एफ सं. 206/2/2010- सीएक्स 6 दिनांक 3 फरवरी के द्वारा यथा संशोधित, में प्रावधान किया गया कि सीएजी से लेखापरीक्षा आपत्ति की प्राप्ति पर तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए अनुदेश जारी किए जाने चाहिए, चाहे आपत्ति स्वीकार न की गई हो।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए में अनुबंध किया गया कि सामान्य मामले में एक वर्ष के अंदर (28 मई 2012 से सेवा कर के लिए

18 माह) कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे और शुल्क से बचने के लिए छल कपट, मिली भगत, दुराग्रही गलत विवरण, तथ्यों को छुपाने आदि के मामले में सुसंगत तिथि से पांच वर्षों की अवधि में जारी किया जाएगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 73 (6) (बी) के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ सुसंगत तिथि का तात्पर्य अंतिम तिथि से है जिस पर उक्त नियमावली के तहत जहां उपरोक्त के अनुसार कोई आवधिक विवरणियां फाइल नहीं की गई हो, ऐसी विवरणियां फाइल की जानी थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने मै. निजाम शूगर लि. बनाम आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामले {2006 (197) इएलटी 465 (एससी)} में निर्णय दिया कि विभाग के लिए पांच वर्षों की विस्तारित अवधि अगले कारण बताओ नोटिस के लिए उपलब्ध नहीं थी जोकि पहले कारण बताओ नोटिस के तथ्यों के समान आधार पर जारी किया गया था क्योंकि सभी तथ्यों के बारे में विभाग को पता था और इसलिए छिपाव का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

लेखापरीक्षा ने जून 2010 से मार्च 2011 के दौरान इलाहाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत चार निर्धारितियों के संबंध में पांच मामले बताए गए थे। तथापि, विभाग ने जनवरी 2013 (एक मामला) और अप्रैल 2014 (चार मामले) में एससीएन जारी करके कार्रवाई की थी। इस प्रकार, विभाग ने चार वर्षों से अधिक समय के बाद कोई कार्रवाई की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.29 करोड़ तक के राजस्व की वसूली संदेहास्पद बनी, क्योंकि ये मामले काल बधित हो सकते हैं।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2015), मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि बोर्ड के अनुदेश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि इन सभी मामलों में रक्षात्मक एससीएन जारी किए गए थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सीबीईसी अनुदेश, दिनांक 3 फरवरी 2010 स्पष्ट रूप से बताता है कि कारण बताओ नोटिस सीएजी से लेखापरीक्षा आपत्ति प्राप्त होने पर तत्काल जारी किए जाने चाहिए आपत्ति स्वीकार न की गई हो। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 2010-11 के दौरान (जून 2010 से अप्रैल 2011) जारी की गई थी किन्तु विभाग ने वर्ष 2014 तक इन पैराओं के लिए कोई उत्तर नहीं दिया था। विभाग ने लेखापरीक्षा को, 2014 में विभाग के साथ आयोजित की गई लेखापरीक्षा समिति बैठक में क्रमशः जनवरी 2013 और अप्रैल 2014 अर्थात् चार वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद, इन मामलों के संबंध में एससीएन जारी करने के बारे में सूचना दी थी।

इसके अलावा, एससीएन केवल उन मामलों में एक वर्ष के पश्चात जारी किया जा सकता है जहां निर्धारिती द्वारा तथ्यों का छिपाव या छलकपट किया गया हो। तथापि, सभी विलंबित मामलों में विभाग ने तथ्यों के छिपाव धारा का उपयोग किया जिसे कई बार अधिकरण/न्यायालयों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और एससीएन कालबाधित हो गये हैं।

7.4.3 केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम-6 (3) में प्रावधान किया गया है कि यदि सेनवेट क्रेडिट उन सामान्य इनपुटों/इनपुट सेवाओं पर प्राप्त किया जाता है जिन्हें छूट प्राप्त माल के साथ-साथ शुल्क योग्य माल के विनिर्माण करने में उपयोग किया जाता है और इनपुटों के लिए अलग लेखे नहीं बनाए जाते हैं, तब विनिर्माता या तो छूट प्राप्त माल के मूल्य के छह प्रतिशत (31.03.2012 तक पांच प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा और या छूट प्राप्त माल अथवा छूट प्राप्त सेवाओं की व्यवस्था के विनिर्माण में उपयोग की गई या इससे संबंधित इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, की धारा 11ए में प्रावधान किया गया है कि जब किसी उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जाता या कम उद्ग्रहण या कम भुगतान या गलती से वापसी की जाती है तब केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी सुसंगत तिथि से एक वर्ष के अंदर व्यक्ति को नोटिस भेज सकता है। एक वर्ष की अवधि को पांच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है जहां शुल्क अपवंचन के अभिप्राय से छल कपट, मिली भगत, जानबूझ कर गलत विवरण देने या तथ्यों के छिपाव के कारण शुल्क का कम भुगतान किया गया है।

वड़ोदरा-॥ कमिश्नरी में मैं केन्टन लेबोरेटरीज लि. ने कथित छूट प्राप्त माल के विनिर्माण के लिए सामान्य इनपुटों और इनपुट सेवाओं का उपयोग करते हुए अप्रैल 2009 से जून 2012 के दौरान ₹ 524.18 लाख के छूट प्राप्त माल-सोडियम क्लोराइड (एनएसीएल) की निकासी की थी। तथापि, निर्धारिती न तो इनपुटों और/या इनपुट सेवाओं के लिए अलग लेखाओं का रख-रखाव किया और न ही छूट प्राप्त माल के मूल्य के छह/पांच प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने मार्च 2014 में यह मामला उठाया था और निर्धारिती ने जुलाई 2012 से फरवरी 2014 की अवधि के लिए छूट प्राप्त माल के छह प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान कर दिया था। तथापि, विभाग ने निर्धारिती से अप्रैल 2009 से जून 2012 तक की अवधि के लिए राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.24 लाख के केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली नहीं हुई।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2014), तब कमिश्नरी ने बताया (मार्च 2015) कि आपत्ति स्वीकार्य थी और जुलाई 2009 से जून 2012 की अवधि को कवर करते हुए ₹ 25.45 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस निर्धारिती को जारी कर दिया गया था।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि मांग की पुष्टि करते हुए एससीएन को अधिनिर्णीत कर दिया गया था। उत्तर में विभागीय चूक पर कुछ नहीं कहा गया था।

7.4.4 कॉल बुक की अप्रभावी समीक्षा

सीबीईसी परिपत्र सं. 162/73/95- सीएक्स दिनांक 14.12. 1995 के अनुसार कारण बताओ नोटिस (एससीएनज), जो उस चरण पर पहुंच गए हैं जब कम से कम 6 माह के लिए इसके शीघ्र निपटान हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती या किए जाने की आवश्यकता है, को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कॉल बुक में हस्तान्तरित किया जा सकता था। न्यायालय में पड़े मामलों, मामले जिनमें विभाग उपयुक्त प्राधिकरण के पास अपील में गया है, मामले जहां सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/सेसटेट आदि द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, मामले जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियों का विरोध किया गया है, और मामले जहां बोर्ड ने विशेष रूप से उक्त को लंबित रखने का और काल बुक में दर्ज करने का आदेश दिया है, को कॉल बुक में हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा, कमिश्नरियों को दिए गए वर्तमान अनुदेशों में लंबित कॉल बुक मर्दों की मासिक समीक्षा करना अपेक्षित है।

बेलगाम कमिश्नरी में कॉल बुक में लंबित मामलों की जांच के दौरान हमने देखा कि 13 मामलों/निर्धारितियों के संबंध में 28 एससीएन को कॉल बुक में लंबित रखा गया था, यद्यपि मामले अधिनिर्णय हेतु उपयुक्त थे। ऐसे एक मामले में पूंजीगत माल के रूप में एमएस प्लेट्स, टीएमटी बार, एंगल आदि पर प्राप्त किए गए अनियमित सेनवेट क्रेडिट के ₹ 97.06 लाख की मांग करते हुए मै. जेएसडब्ल्यू सीमेंट लि. बेल्लारी को, दिनांक 26 जुलाई 2010 को एससीएन जारी किया गया था। यद्यपि, एससीएन फरवरी 2011 में अधिनिर्णय

हेतु दायी था, क्योंकि समान मामलों को विभाग द्वारा अधिनिर्णीत कर दिया गया था, इस मामले के अधिनिर्णय में तीन वर्षों से अधिक समय लगा।

जब हमने इस बारे में बताया (अप्रैल 2013), तब विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2013), कि मै. जेएसडब्ल्यू को जारी एससीएन सहित 22 एससीएन कॉल बुक से निकाल लिए गए थे। विभाग ने आगे सूचना दी (मार्च 2015) कि 22 मामलों का अधिनिर्णयन किया गया था तथा तीन और मामलों को हटाया जाना था और कॉल बुक में शेष दो एससीएन को बनाए रखा गया।

कॉल बुक में दो मामलों को बनाए रखना लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण ठीक नहीं थे।

मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2015) कि शेष दो मामलों को भी कॉल बुक से निकाल लिया गया था और अधिनिर्णय किया जा रहा था।

संजीव गोयल

(संजीव गोयल)

नई दिल्ली

दिनांक: 10 फरवरी 2016

प्रधान निदेशक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली

दिनांक: 10 फरवरी 2016

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक